



संदर्भ सं : SU/REG/F-2/23/2018/VoI-I/944

दिनांक : 02 नवंबर 2020

अधिसूचना - 175 /2020

विषय: सूसा की कार्यवाहक कार्यकारी समिति के गठन के संबंध में

शैक्षणिक वर्ष 2019 के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संघ (सूसा) की कार्यकारी समिति दिनांक 1 अक्टूबर 2019 को उक्त संगठन के संविधान के अनुच्छेद XII के खंड 8 के तहत सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संघ के संरक्षक के रूप में कुलपति द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार शपथ दिलाने के बाद अस्तित्व में आई। जबकि, उक्त संगठन के संविधान के अनुच्छेद X के खंड 2 के अनुसार सूसा की कार्यकारी समिति का कार्यकाल एक शैक्षणिक वर्ष होता है। अब, जबकि शैक्षणिक सत्र 2019-20 समाप्त हो गया है, इसलिए सूसा की कार्यकारी समिति समाप्त हो गया, जिसे दिनांक 1 अक्टूबर 2019 के अधिसूचना 159/2019 द्वारा अधिसूचित और दिनांक 14 अक्टूबर 2019 को जारी अधिसूचना सं 161/2019 द्वारा शुद्धिपत्र जारी किया गया था।

चूंकि, कोविड-19 महामारी के कारण स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल/पीएच.डी. के प्रथम सेमेस्टर में अभी तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है, इसलिए सूसा की नई कार्यकारी समिति के गठन में कुछ समय लगेगा। तब तक कुलपति के अनुमोदन से सूसा की कार्यवाहक कार्यकारी समिति का गठन किया जाता है। जिसमें पहले के कार्यकारी समिति के सभी सदस्य होंगे, जो वर्तमान में विश्वविद्यालय के छात्र हैं।

कार्यवाहक कार्यकारी समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे और यह समिति अगले आदेश तक कार्य करेंगे।

1. श्री महेश राई, अध्यक्ष
2. श्री राजीव छेत्री, सदस्य
3. श्री नितेश प्रधान, सदस्य
4. सुश्री सुनैना राई, सदस्य
5. श्री ऋषव सुब्बा, सदस्य
6. सुश्री अनिशा लोहार, सदस्य

विवरण:

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी
4. परीक्षा नियंत्रक
5. पुस्तकालयाध्यक्ष
6. डीन, सभी विद्यापीठ
7. डीन, छात्र कल्याण
8. अध्यक्ष/प्रभारी, सभी विभाग
9. अध्यक्ष, सूसा
10. सूसा की कार्यवाहक कार्यकारी समिति के सभी सदस्य
11. सुरक्षा फाइल

तेज कृष्ण कौल
(टी.के.कौल)

कुलसचिव

कुलसचिव

Registrar

सिक्किम विश्वविद्यालय

Sikkim University